मथुरा पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दिनांक 08.12.2025 प्रेस नोट थाना – बरसाना

थाना बरसाना पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या कर लूट की घटना करने वाले 04 अभियुक्तगण को 04 अवैध तमन्चा व 04 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार एवं अभियुक्तगण की निशादेही पर आलाकत्ल व लूट का सामान बरामद।

थाना बरसाना पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में आज दिनाँक 08.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बरसाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 416/2025 धारा 103(1)/238/309(6) बीएनएस की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र होतीलाल निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष 2. मोहित पुत्र हेतराम निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष 3. सचिन पुत्र ईशरदयाल निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष 4. गुलशन पुत्र विजय सिह निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष को यशोदाकुण्ड के पास 100 कदम जंगल की तरफ से 04 अवैध तमंचा व 04 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार , गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल दो डण्डे (रक्त रंजित), एक पत्थर नुकीला (रक्त रंजित) ,मृतक का लूटा हुआ थैला, मृतक का मोबाइल फोन छतिग्रस्त व मृतक की दुकान की चाबियों का गुच्छा बरामद कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग उपरोक्त में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना बरसाना पर मु0अ0सं0- 416/2025 धारा 103(1)/238/309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात द्वारा वादी के भाई महादेव पुत्र खच्चर निवासी ग्राम डाहरौली थाना बरसाना मथुरा की हत्या कर शव को कुएं में फैक देने व नगदी का बैग लूट कर ले जाने के सम्वन्ध में पंजीकृत कराया गया। पूछताछ मे अभियुक्त सोनू उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हमारे गाँव का महादेव पुत्र खच्चर परचून की दुकान करता था, जिसकी दुकान पर गुलशन काम करता था। महादेव अक्सर दुकान पर लोगों के सामने गुलशन की माँ को लेकर अश्लील कमेन्ट करता रहता था तथा मेरे साथ भी मेरी बहन को लेकर कई बार अश्लील कमेन्ट कर चुका था। मेरे पिता ने महादेव से कुछ समय पहले भैंस खरीदने के लिये 40000/- रुपये ब्याज पर लिये थे व मेरे ऊपर भी दुकान के कुछ रुपये उधारी के थे। समय पर कर्जा न चुकाने के कारण महादेव मुझसे कहता था कि अगर तुझे कर्जा चुकाने में समस्या हो रही है, तो अपनी बहन को मेरे पास छोड जा। महादेव की इन बातों को लेकर मैं तथा गुलशन गांव वालों के सामने काफी बेज्जती महसूस करने लगे तथा अन्दर ही अन्दर महादेव के खिलाफ रंजिश मानने लगे तथा हम दोनो ने आपस में मिलकर महादेव की हत्या करने का इरादा बना लिया और दिनांक 04.12.2025 को शाम करीब 18.30 बजे, मैं महादेव की दुकान पर सामान लेने के लिये गया था। महादेव ने शराब पी रखी थी। महादेव, मुझसे दुकान की उधारी के रुपये माँगने लगा तो मैनें कहा कि मेरे काम के रुपये नहीं मिले हैं, जब मिल जाएंगे तो मै तुम्हारी उधारी के रुपये वापस कर दूंगा, इस बात को सुनकर महादेव ने मुझसे कहा अगर तू मेरे रूपये नहीं वापस कर पा रहा है तो अपनी बहन को मेरे पास ले आ, चाहे तो मेरे से तू हजार पांच सौ रूपये और ले जा। महादेव की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी तथा मैनें महादेव को सबक सिखाने के लिये अपने दोस्त सचिन, गुलशन व मोहित को फोन कर गाँव के बाहर मिलने को बुला लिया। महादेव दुकान बंद करके घर के लिये निकलेगा तो मै तुम्हे मैसेज कर दूगाँ। मोहित व सोनू अपने अपने घरो से एक एक डण्डा लेकर आये ओर गाँव के देवदत्त पुत्र रामेश्वर के खेत के पास महादेव के आने का इन्तजार करने लगे। कुछ देर इन्तजार करने के बाद रात करीब 09 बजे गुलशन ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि महादेव दुकान बन्द करके गांव की ओर आ रहा है। तुम लोग उसे रोको मैं भी आ रहा हूं। उसके बाद सोनू, सचिन, मोहित ने महादेव की मोटर साइकिल आती देख उसे गांव के देवदत्त पुत्र रामेश्वर के खेत के सामने सड़क पर रोक लिया। महादेव नशे में था तथा वह मुझे देखते ही मेरे साथ गाली गलौज करने लगा तथा मोटर साइकिल

से उतरकर मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद मोहित व मैनें महादेव के सीने व पैर पर डण्डे मारा तो महादेव जमीन पर बेहोश होकर गिर पडा। उसके बाद वहां गुलशन भी आ गया था। हम चारों महादेव को सडक किनारे से घसीटकर खेत में अन्दर ले गये तथा हम सभी ने लाठी डण्डे व पत्थरों से महादेव के सिर पर तब तक वार किये जब तक महादेव मर नहीं गया। इसके बाद महादेव के थैले को चैक किया तो उसमें 4500/- रूपये, दुकान की चाबियां व एक टोस्ट का पैकेट मिला था। थैले में मिले 4500 रूपये मे से चारों ने आपस में बांट लिये थे तथा टोस्ट खेतों में फेंककर हम लोग खेत से पीछे की तरफ टाटिंया वाले रास्ते से गाँव में चले गये थे, मैं गोवर्धन सडक की तरफ चला गया था, मैनें महादेव की हत्या में प्रयुक्त डण्डे को हरिओम प्रधान के खेत के पास नाले में फेक दिया था तथा बैग को हरिओम के खेत मे भरे पानी में फेंक दिया था तथा चाबी को गोवर्धन रोड की ओर हरिओम स्वामी के खेत के समाने नाले में फेंक दिया था ।

गिरफ्तार अभि0 गणः-

1. सोनू पुत्र होतीलाल निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष
2. मोहित पुत्र हेतराम निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष
3. सचिन पुत्र ईशरदयाल निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष
4. गुलशन पुत्र विजय सिह निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः -

यशोदाकुण्ड के पास 100 कदम जंगल की तरफ चौकी क्षेत्र नन्दगांव थाना क्षेत्र बरसाना जनपद मथुरा दिनांक 08.12.2025 समय 03.38 बजे रात्रि।

आपराधिक इतिहास

1.सोनू पुत्र होतीलाल निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष
A- मु0अ0सं0 416/25 धारा 103(1)/238/309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना बरसाना मथुरा
B- मु0अ0सं0 419/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरसाना मथुरा

2. मोहित पुत्र हेतराम निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष
A- मु0अ0सं0 416/25 धारा 103(1)/238/309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना बरसाना मथुरा
B- मु0अ0सं0 419/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरसाना मथुरा

3. सचिन पुत्र ईशरदयाल निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष
A- मु0अ0सं0 416/25 धारा 103(1)/238/309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना बरसाना मथुरा
B- मु0अ0सं0 419/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरसाना मथुरा

4. गुलशन पुत्र विजय सिह निवासी गाव डाहरौली थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष
A- मु0अ0सं0 416/25 धारा 103(1)/238/309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना बरसाना मथुरा
B- मु0अ0सं0 419/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरसाना मथुरा

बरामदगी

1. 04 तमन्चा 04 कारतूस
2. दो डण्डे (रक्त रंजित),
3. एक पत्थर नुकीला (रक्त रंजित)

4. मृतक का लूटा हुआ थैला,
5. मृतक का मोबाइल फोन छतिग्रस्त
6. मृतक की दुकान की चाबियों का गुच्छा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चेतराम शर्मा थाना बरसाना मथुरा।
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार – एसओजी प्रभारी मथुरा।
3. उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलाँस मथुरा।
4. उ0नि0 श्री प्रवीन तेवतिया चौकी प्रभारी हाथिया थाना बरसाना मथुरा।
5. उ0नि0 श्री अनुराग चौधरी थाना बरसाना मथुरा।
6. उ0नि0 श्री राहुल सिंह चौकी प्रभारी नन्दगाँव थाना बरसाना मथुरा।
7. है0का0 1052 सुधीर कुमार एसओजी टीम मथुरा।
8. है0का0 610 रजनीश यादव एसओजी टीम मथुरा।
9. चालक सुदेश एसओजी टीम मथुरा।
10. है0का0 379 अजय कुमार एसओजी टीम मथुरा।
11. है0 का0 1713 दिनेश भाटी थाना बरसाना मथुरा।
12. है0 का0 1655 विनोद कुमार थाना बरसाना मथुरा।
13. है0 का0 1030 यशपाल थाना बरसाना मथुरा।
14. आरक्षी 2367 मुकेश कुमार एसओजी टीम मथुरा।
15. का0 1666 दीपक राय एसओजी टीम मथुरा।
16. का0 1659 पीयूष कुमार एसओजी टीम मथुरा।
17. आरक्षी योगेश कुमार सर्विलाँस मथुरा।